भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 490*

जिसका उत्तर मंगलवार, 28 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है

सीमेंट संयंत्रों का बन्द होना

490*. **श्री धर्मवीर:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) के अन्तर्गत सीमेंट एककों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन हुआ तथा समग्र रूप से सीसीआई की क्षमता उपयोगिता कितनी रही तथा लाभ/घाटा कितना है;

(ख) क्या चरखी दादरी संयंत्र सहित विभिन्न सीमेंट एककों के बन्द होने के कारण बड़ी संख्या में कामगारों की छंटनी की गई है और वे बेरोजगार भी हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन संयंत्रों की अधिशेष और बेकार पड़ी भूमि का उपयोग करने और रोजगार सृजित करने का प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सीसीआई सीमेंट की बाजार में हिस्सेदारी में सुधार करने तथा लाभप्रदता सुनिश्चित करने हेतु क्या लघु और दीर्घकालिक कार्य-योजना प्रस्तावित है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अनंत ग. गीते)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

'सीमेन्ट संयंत्रों का बंद होना' के संबंध में श्री धर्मवीर द्‌वारा दिनांक 28.04.2015 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 490* के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) बीआईएफआर को संदर्भित एक रुग्ण कंपनी है। इसकी 03 प्रचालनरत इकाइयों और 07 अप्रचालनरत इकाइयों का ब्यौरा निम्नवत है:-

प्रचालनरत इकाइयां

इकाई का नाम	**अवस्थिति**
बोकाजन	कार्बी आंगलोंग, असम
राजबन	सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)
तांदुर	रंगा रेड्डी, तेलंगाना

अप्रचालनरत इकाइयां

इकाई	**अवस्थिति**
मंधार	छत्तीसगढ़
कुरकुंटा	कर्नाटक
नयागांव/नयागांव विस्तार	मध्य प्रदेश
अकलतारा	छत्तीसगढ़
चरखी दादरी	हरियाणा
आदिलाबाद @	तेलंगाना
दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट	दिल्ली

@आदिलाबाद इकाई को छोड़कर सभी 07 इकाइयों को बंद कर दिया गया है और उनकी बिक्री आरंभ कर दी गई है। आदिलाबाद इकाई को माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश की वजह से बंद नहीं किया जा सका।

विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सीसीआई द्‌वारा समग्र रूप से सीमेन्ट उत्पादन की मात्रा, क्षमता उपयोगिता और लाभ/घाटा का ब्यौरा निम्नवत है:-

	2012-13	2013-14	2014-15 (अनंतिम)
सीमेन्ट उत्पादन (लाख मीट्रिक टन)	7.08	8.36	9.52
क्षमता उपयोगिता (%)	49	58	66
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	8.11	16.20	27.33

(ख): बीआईएफआर द्‌वारा यथानुमोदित सीसीआई की स्वीकृत स्कीम के अनुसार, सीसीआई की पांच अन्य इकाइयों के साथ-साथ चरखी दादरी संयंत्र को बंद किया जा चुका है और श्रम मंत्रालय, मंत्रिमंडल तथा बीआईएफआर द्‌वारा यथानुमोदित स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम के अनुसार सभी कामगारों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है।

(ग): सभी बंद इकाइयों की परिसंपत्तियां बीआईएफआर के निदेशों के अनुसार बिक्री के अधीन हैं और बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग स्कीम के कार्यान्वयन के लिए किया जाना है।

(घ): स्वीकृत स्कीम, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बोकाजन, तांदुर और राजबन इकाइयों के विस्तार/आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है, का उद्देश्य सीसीआई के कार्य-निष्पादन और लाभप्रदता में सुधार लाना है। सीसीआई के बाजार शेयर में वृद्धि करने के लिए राजबन और तांदुर इकाइयों में पोर्टलैंड पोज्जोलाना सीमेन्ट (पीपीसी) का उत्पादन करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, सीसीआई उन क्षेत्रों में अपने डीलर नेटवर्क का भी विस्तार कर रही है जहां सीमेन्ट की बिक्री से बेहतर आय प्राप्त हो सकती है।

****

आज लोक सभा में

दोपहर 12:00 बजे

महोदया,

मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्र.सं.__________पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध कागजात सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आज राज्य सभा में
दोपहर 11:00 बजे

महोदय,

मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्र.सं.___________पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध कागजात सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ।